

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधान सभा अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात् 2.00 हे० सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण -पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक चोपता-रुद्रप्रयाग
(X हे० आरक्षित वन भूमि, 2.00 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, X हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 02 हे० सिविल भूमि) का राजकीय पालीटेक्निक चोपता तकनीकी शिक्षा विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुसूचित (उत्तराखण्ड) प्रयोक्ता एजेन्सी की पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 28/02/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमति अपर्णा देविया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1- श्री अपर्णा देविया | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष | उप जिलाधिकारी |
| 2- श्री प्रशान्त सिंह चौधरी | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य | रुद्रप्रयाग |
| 3- श्री दीपक कुमार | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य | सचिव |
| 4- श्री मनि रजनी देवी | बी०डी०सी० क्षेत्र कुण्डा दानकोट | सदस्य | रुद्रप्रयाग |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि केदारनाथ विधानसभा अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पालीटेक्निक चोपता की स्थापना परियोजना हेतु 2.00 हे० वन भूमि राजकीय पालीटेक्निक चोपता (तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं

अध्यक्ष रुद्रप्रयाग
सचिव रुद्रप्रयाग

किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी कि जा चुकी है।
अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता कुण्डा दानकोट परियोजना के निर्माण हेतु 2.00 हे० वन/भूमि (प्र. वि. ल.) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

दिनांक:- 28/02/2022

गुवाक
रा० ड० नि०
चोपता

बबब सहसीलदार
रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, महोदय रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक:- 28/02/2022

गुवाक
रा० ड० नि०
चोपता

बबब
बबब सहसीलदार
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील रुद्रप्रयाग

जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील रुद्रप्रयाग

जनपद रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:—जनपद रुद्रप्रयाग के चोपता (कुण्डादानकोट)में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00हे० सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — कुण्डादानकोट

तहसील— रुद्रप्रयाग, **जिला—** रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक परियोजना के निर्माण हेतु (X हे० औरक्षित वन भूमि, 2.00हे० सिविल सोयम भूमि, X हे० वन^x पंचायत भूमि^x हे०) अर्थात कुल 2.00हे० सिविल भूमि का राजकीय पालीटेक्निक चोपता तकनीकी शिक्षा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुण्डादानकोट द्वारा दिनांक 24/02/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित ~~विन~~ भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट द्वारा किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है ।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुण्डा के ग्रामवासियों को उक्त ~~विन~~ भूमि राजकीय पालीटेक्निक चोपता प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है ।

ह०/- ^{Rajesh} ^{24/2/22}
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र—चोपता
ग्राम सचिव विकास खण्ड—अगस्त्यगुनि
रुद्रप्रयाग



नोट:— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

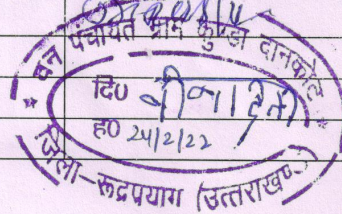
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र -23.1

दिनांक 24/02/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - कुण्डादानकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	Ashish Rawat	Ashish
②	पद्मेश कुमार	Padmash
③	सुंदर लाल	Sunder Lal
④	मोहन लाल	Mohan Lal
⑤	Surendra Lal	Surendra Lal
⑥	पद्म लाल	Padm Lal
⑦	श्रीलाल सुंदरशामलाल	Shrilal
⑧	दिनेश कुमार	Dinesh
9	रामचंद्र कृष्णलाल	Ramch
10	महेश महाराज	Mahesh
11	श्रीगणेश कृष्णलाल	Shri Ganesh
12	वीरेंद्र कुमार	Virendra
13	इशुप्रेम सिंह	Ishuprem
14	मनवराज सिंह	Manwaraj
15	बिना देवी	Bina Devi



ह0/-

ग्राम प्रधान

